

**शरीर रचना शास्त्र विभाग**  
**सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय**  
**पुणे - 411 040**



शरीर रचना शास्त्र विभाग

**मृत्यु के बाद शरीर दान के लिए प्रपत्र**

श्रीमान/श्रीमती/कुमारी/ चिकित्सक : .....

आयु : .....

पता : .....

धर्म : .....

मोबाइल/टेली नंबर : .....

ईमेल : .....

शिक्षा : .....

रोजगार विवरण : .....

पिछला चिकित्सा इतिहास : .....

एचआईवी/एचबीएसएजी का इतिहास : .....

कृपया यहां एक फोटो  
चिपकाएं और एक  
स्वप्रमाणित फोटो  
भेजें संलग्नक के रूप में

मैं, ..... वृद्ध ..... एतद्वारा मेरी स्पष्ट इच्छा व्यक्त करता/करति हु मेरे निधन के समय उपस्थित मेरे सभी कानूनी वारिस, प्रिय, रिश्तेदार और मित्र, और इसके परिणामस्वरूप लिखित रूप में देता हू कि मेरी मृत्यु के बाद, मेरे पार्थिव शरीर, शरीर रचना शास्त्र विभाग, सशस्त्र सेना मेडिकल कॉलेज पुणे - 411040 को दान कर दिया जाए।

मैं यह भी व्यक्त करता हूँ कि मेरे पार्थिव शरीर को विच्छेदन, अनुसंधान या किसी अन्य आवश्यक चिकित्सा प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किए जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

फॉर्म पर हस्ताक्षर होंगे.....।के दिन ..... (महीना) बीस सौ .....

दाता के हस्ताक्षर

**गवाह नंबर 1**

1. नाम .....

पता: .....

रिश्ता.....

टेली/ईमेल: .....

हस्ताक्षर: .....

**गवाह नंबर 2/परिजनों के अगले**

1. नाम.....

पता: .....

रिश्ता.....

टेली/ईमेल: .....

हस्ताक्षर: .....

**नोट: शरीर के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र -**

1. एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी/अस्पताल द्वारा हस्ताक्षरित प्राकृतिक मृत्यु के प्रमाण पत्र।
2. ग्राम पंचायत / नगर पालिका / निगम / छावनी से मृत्यु पास / प्रमाण पत्र। तख्ता।
3. गवाह संख्या 2 के निकट संबंधी न होने की स्थिति में परिजनों से हस्ताक्षरित सहमति प्रपत्र।

**शरीर रचना शास्त्र विभाग**  
**सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय**  
**पुणे - 411 040**



शरीर रचना शास्त्र विभाग

**सामान्य जानकारी - शरीर दान**

**24 घंटे शरीर दान समन्वयक का संपर्क नंबर : 7507344443**

बॉम्बे शरीर रचना शास्त्र एक्ट 5 (बी) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बाद अपने शरीर को चिकित्सा शिक्षा या अनुसंधान के लिए एक अनुमोदित संस्थान को अपने जीवनकाल के दौरान एक गवाह की उपस्थिति में हस्ताक्षरित एक लिखित घोषणा द्वारा या मौखिक रूप से व्यक्त करके शारीरिक विच्छेदन सहित दान कर सकता है। दो या दो से अधिक गवाहों की उपस्थिति में उसकी अंतिम बीमारी।

पुलिस / कोरोनर से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया गया हो जिसमें बिना किसी अस्पष्टता के मृत्यु का कारण प्राकृतिक बताया गया हो (कोरोनर कोर्ट सर्कुलर दिनांक 22 जनवरी 1987)

**शरीर दान करने के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए:**

1. शरीर दान के लिए वसीयत फॉर्म भरें और एक अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ मूल प्रति एनाटॉमी विभाग, एएफएमसी, पुणे - 411 040 को भेजें। की जेरोक्स कॉपी रखें रिकॉर्ड के रूप में आपके साथ भरा हुआ विल फॉर्म। भरे हुए फॉर्म की प्राप्ति पर दाता की सत्यापित फोटो के साथ एक बॉडी डोनेशन कार्ड वापस भेज दिया जाएगा। रिश्तेदार को दान के लिए नश्वर अवशेषों के साथ कार्ड लाना होगा।
2. यह रिश्तेदारों पर निर्भर है कि वे विल फॉर्म ऑफ बॉडी डोनेशन में व्यक्त की गई इच्छा का सम्मान करें और लिखित सहमति दें।
3. मृत्यु के बाद, मृतक के शव को विभाग में लाने से पहले, मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से प्राप्त किया जाना चाहिए और ग्रामपंचायत / नगर पालिका / निगम / छावनी बोर्ड से मृत्यु पास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है। कोई मेडिको-लीगल केस स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. नेत्रदान (कॉर्निया) के लिए कृपया नेत्र विज्ञान विभाग, एएफएमसी (नेत्र विभाग मोबाइल नंबर 8806666041) से संपर्क करें और अंग दान के लिए कृपया आईसीयू, कमांड अस्पताल (दक्षिणी कमान) मोबाइल नंबर 9882582166 से संपर्क करें।
5. एएफएमसी अपने पर दान किए गए शव एकत्र कर सकता है। केवल पुणे शहर की नगरपालिका सीमा के भीतर ही सूचना के बाद स्वामित्व। यदि मृत्यु पुणे के बाहर होती है, तो संबंधित व्यक्ति के नाँक को नश्वर अवशेषों को स्वयं एएफएमसी में लाना होगा। व्यक्ति के पार्थिव शरीर को दिन में विभाग में लाना चाहिए। कृपया रात के समय शव को लाने से बचें क्योंकि इसमें हमारे नियंत्रण से परे प्रशासनिक कठिनाइयाँ होती हैं। विभाग काम के घंटों के दौरान शरीर को निम्नानुसार प्राप्त करेगा:

सोम, मंगल, गुरु और शुक्र : 0830 से 1630 बजे तक।  
बुध और शनि : 0830 से 1400 बजे तक।

परिवहन और शरीर दान से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया मोबाइल नंबर 7507344443 पर कॉल करें।

6. शरीर दान की अस्वीकृति के कारण: मेडिको लीगल केस, एचआईवीआई एचबीएसएजी पॉजिटिव, रुग्ण मोटापा, पूरी तरह से सड़ा हुआ शरीर।